निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 14/2024 (रे0वाद)
दायर दिनांक – 06/03/2024
निर्णय दिनांक– 08/07/2025

अनवान

1. हजारी पिता केसा आयु बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. किरणकुमार पिता मांगीलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. किशोरकुमार पिता मांगीलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. गोपाल पिता धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. थानमल पिता गमनीराम आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. पुष्पा पुत्री धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. मीठालाल पिता रंगलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. मिश्रीलाल दतक पुत्र नाथुलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. मीठूबाई पत्नि मांगीलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. राजमल पिता मांगीलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. लक्ष्मीलाल पिता धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
11. लीला पुत्री धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. सरोज पुत्री धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
    :– मृतक शंकरलाल पिता गणेशलाल के वारिसान – प्रतिवादी संख्या 14
14. मांगीबाई पत्नि शंकरलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
    :– मृतक शान्तिलाल पिता रंगलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 से 17
15. पारस पिता शान्तिलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
16. ज्योति पुत्री शान्तिलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
17. कविता पुत्री शान्तिलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– अनुपस्थित
वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने यह वाद विरूद्व प्रतिवादीगण के अन्तर्गत धारा 88,89,188 का पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि यह कि वादी के कब्जे काश्त की भूमि के जमाबन्दी सम्वत् 2012 राजस्व ग्राम दौलपुरा खाता संख्या 87 आराजी नम्बर 14 क्षेत्रफल 11. 03 बीघा तहसील देवगढ में स्थित होकर उसके वर्तमान बन्दोबस्त आराजी नम्बर 36 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 37 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 38 क्षेत्रफल 1. 8500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 2.4100 हैक्टेयर है। उक्त आराजी नम्बर दिनांक 02. 10.1955 को प्रतिवादी 1 से 14 के पुर्वज / पिता छोगालाल पिता उम्मेदचन्द, नाथुलाल पिता अमराराम जी, नेनालाल पिता हंसराज, गणेशमल पिता फतेहचन्द जी जाति महाजन निवासी दौलपुरा के द्वारा नकद 80/– रू० अक्षरे अस्सी रूपये प्राप्त कर विक्रय का इकरारनामा बही चौपनीया में सन् 1955 में लिख कर खरीददार केसा, लकु पिता साजी जाति रेगर को कब्जा सिर्पद किया तब से वादीगण के पुर्वज क वर्ष 1955 से कब्जे काश्त में चली आ रही थी। एवं उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगणो के कब्जे काश्त होकर उपयोग उपभोग में है। वादी का सजरा खानदान पेश किया है। वादग्रस्त आराजी पूर्व में श्री छोगालाल पिता उम्मेदचन्द, नाथुलाल पिता अमराराम जी, नेनालाल पिता हंसराज, गणेशमल पिता फतेहचन्द जी जाति महाजन निवासी दौलपुरा के खातेदारी एवं स्वामीत्व में रही है, उक्त कलम संख्या में वर्णित भुमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पूर्वजो द्वारा रूपयो की आवश्यकता होने से भूमि को बैचान कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तथा विक्रय कि रकम पेटे 80/–रू विक्रय पत्र लिख दिया और कब्जा वादीगणो के पूर्वजो को सिर्पद कर दिया गया। कुछ समय बाद बैचान कर्त्ता छोगालाल पिता उम्मेदचन्द, नाथुलाल पिता अरामराम जी, नेनालाल पिता हंसराज, गणेशमल पिता फतेहचन्द जी जाति महाजन का देहवासान (मृत्यु) हो गयी। प्रतिवादीगण ने नामान्तरण से उक्त वर्णित भूमि अपने नाम दर्ज करा दी। वादी हजारी पिता केसा बाहर रह कर व्यवसाय करते आये है, तथा केसा पिता सोजी व लकु पिता सोजी का भी देहवसान हो चुका है, जिससे भूमि के विक्रय का पंजियन नही हो पाया था। किन्तु भूमि की किमत बढ जाने से अब विक्रेता के वारिसान के दिमाग में लालच उत्पन्न हो जाने से अब वे भूमि कि रजिस्ट्री कराने से मुकर (इन्कार) रहे है। जिससे वादी यह चाहते हुये भी माफिक बैचाननामा भूमि की रजिस्ट्री नही करा पा रहे है, तथा विक्रय पत्र से स्पष्ट रूप से भूमि विक्रय हो चुकी थी व काफी समय हो चुका है, भूमि पर वादीगणो का 68 वर्ष की अवधि से लगातार कब्जा काश्त होने से एवं भूमि के तत्कालीन खातेदारान द्वारा इकरानामे के मुताबिक विक्रय करने से तथा समय ज्यादा होने से अब वादी को वाद ग्रस्त आराजी में विरोधी अधिपत्य के आधार पर एवं लगातार अधिनियमित अवधि 68 वर्ष अधिक अवधि के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुका है। तथा वादी के पूर्वज केसा व लकु के वारिसान अब भूमि में खातेदारी प्राप्त करने हेतु यह खातेदारी की घोषणा का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे है। प्रतिवादीगण वादी से भूमि नही छिने एवं भूमि की रजिस्ट्री अन्यत्र नही कराने हेतु उन्हे रोकने हेतु इस हेतु उन्हे रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रहे है। वाद कारण दिनांक 18.10.2023 प्रतिवादी संख्या 1 व 8 भूमि की रजिस्ट्री कराने से मना (इन्कार) एवं वादी का लगातार 68 वर्ष तक का कब्जा काश्त हो जाने से एवं एडर्वस पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो गया जो निरन्तर जारी है। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो को देखते हुऐ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगणो के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादी उक्त वाद पत्र कि कलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात को किसी को भी अन्तरित व हस्तान्तरित नही करे एवं वादी के उपयोग उपभोग में बाधा एवं रूकावट पैदा नही करे न ही वादी को उक्त भूमि से बेदखल नही करे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

आवश्यक है अन्यथा वादी को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरें नकदी में असम्भव होगी एवं व्यर्थ की मुकदमें बाजी बढेगी। वादी के पूर्वज केसा व लकु की मृत्यु हो जाने से उनके वारीसान हजारी पिता केसा, टमुदेवी, अणछीदेवी पुत्रीयां केसा हिस्सा 1/2 व लकु पिता साजी के वारीसान सोहन पिता लकु व लहरी पिता लकु हिस्सा 1/2 वर्तमान आराजी नम्बर में खातेदारी अधिकार उत्पन्न हो चुके है। तथा राजस्व रेकार्ड में अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु वाद पेश है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व लैण्ड रेकार्ड रूल बनने से पूर्व 1955 से पूर्व भूमि का विक्रय हो जाने से तत्कालीन समय में विक्रय पंजियन की व्यवस्था नही थी एवं बही खाता में विक्रय की मान्यता थी। तहसीलदार देवगढ़ भूमि धारी होने से औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। यह वाद राज्य सरकार एवं पदाधिकारीगण के विरूद्व पेश किया जा रहा है तथा राज्य सरकार एवं पदाधिकारीगण के विरूद्व वाद लाने से पूर्व 60 दिवस का कानूनी नोटिस धारा 80 सी.पी.सी. के प्रावधान के अनुसार देना जरूरी होता है। किन्तु उक्त नोटिस हेतु 60 दिवस का इन्तजार करने पर भुमि के बिलानाम दर्ज हो जाने से राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति को आंवटित कर दी जाती है। तथा वादी से भुमि का वाद का कोई आशय नही रह जाता है, जिससे वादी का यह वाद आवश्यक प्रकृति का होने से वादी के पास उक्त 60 दिवस का मियादी नोटिस देने का समय नही है कराने कि प्रार्थना के साथ माननीय न्यायालय की स्वीकृति चाहते हुये पेश किया जा रहा है। वाद का कारण दिनांक 30.10.2023 को प्रतिवादीगणो के रजिस्ट्री करवाने से मना करने से पैदा हुआ जो निरन्तर जारी है। वादी निम्न इस्तदुआ प्राप्त करने का अधिकारी है कि वाद ग्रस्त गत सेटलमेन्ट के आराजी नम्बर 14 क्षेत्रफल 11.03 बीघा एवं वर्तमान सेटलमन्ट के आराजी नम्बर 36 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 37 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 38 क्षेत्रफल 1.8500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 2.4100 हैक्टेयर ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की भूमि तत्कालीन खरीददार केसा व लकु के वारिसान हजारी पिता केसा, टमुदेवी, अणछीदेवी पुत्रीयां केसा हिस्सा 1/2 व सोहन पिता लकु व लहरी पुत्री लकु हिस्स 1/2 को खातेदारी टेनेन्ट घोषणा करने की डिक्री फरमाई जावे। माननीय न्यायलय से अनुरोध है कि वादी को प्रतिवादी की वाद पत्र में वर्णित भूमि ग्राम दौलपुरा पटवार हल्का दौलपुरा की आराजी नम्बर 14 क्षेत्रफल 11.03 बीघा उसके वर्तमान बन्दोबस्त आराजी नम्बर 36 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 37 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 38 क्षेत्रफल 1.8500 क्षेत्रफल है केसा व लकु के वारिसान जो वाद पत्र की कलम संख्या 2 में है जिनका कब्जा काश्त लगभग 68 वर्षो से चला आ रहा है। तथा वादी को प्रतिवादीगणो से उक्त भूमि की खोदारी दर्ज कराने का अधिकार है। खातेदारी दर्ज करने की डिक्री सादीर फरमाई जावें। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी का कब्जा वादी से नही छिने एवं कृर्षि कार्य में व्यवधान उत्पन्न नही करे एवं वाद ग्रस्त भूमि को अन्यत्र ट्रांसफर नही करे इस हतु उन्हे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया । उक्त भूमि के तत्कालीन खरीददार के वारिसान हजारी पिता केसा, टमु, अणछी पुत्री केसा हिस्सा 1/2 व सोहन पिता लकु, लहरी पुत्री लकु हिस्सा 1/2 को खातेदार दर्ज करने कि डिक्री सादर फरमाई जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। पक्षकरान को वास्ते जबाबदेही हेतु तलब किया गया। प्रकरण में पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान को नोटस जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये। उक्त नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुवें। तामिल की प्रकिया पूर्ण करने हेतु प्रतिवादीगण के सम्मन दैनिक समाचार पत्र में साया किये गये। नियम तारीख पेशी पर कोई उपस्थित नहीं हुआ। आवाज लगाई गई, बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुवें । कोई उपस्थित नहीं होने प्रतिवादीगण के विरूद्व लिहाजा एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादी ने अपने पक्ष में साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया है साथ ही एक लिखित बैचाननामा 80 रू मात्र का पेश किया है। उक्त लिखित बैचाननामा रजिस्टर्ड नहीं होने से प्रदर्श लगाना संभव नहीं हो सका। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का पेश कर उक्त लिखित को दितीयक साक्ष्य के रूप में पेश करने एवं प्रदर्श लगाने की

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

अनुमति चाही गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का स्वीकार किया जाकर प्रदर्श लगाने की अनुमति प्रदान की गई।

प्रकरण में सभी विधिक प्रकिया पूर्ण करते हुवें। वकील वादी को सुना गया।

वकील वादी ने उक्त प्रकरण में लिखित बहस पेश की है जो निम्नानुसार है:– यह कि वादी के पूर्वजो द्वारा राजस्व ग्राम दौलपुरा की तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2012 में आराजी नम्बर 14 क्षेत्रफल 11.03 बीघा भूमि विपक्षीगण संख्या 1 से 8 के पूर्वज छोगालाल पिता उम्मेदचन्द नाथूलाल पिता अमराराम, नेनालाल पिता हंसराज गणेशमल पिता फतेहचन्द जाति महाजन निवासी देवगढ दिनांक 02.07.1955 को तत्कालीन खातेदारी में 80 रूपये में भूमि खरीद की व कब्जा प्राप्त किया।

यह कि वादी के पूर्वजो द्वारा वर्ष 1955 में ही उक्त खरीदशुदा भुमि पर कब्जा प्राप्त कर निर्बाद रूप से उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे थे। जिसको लगभग 70 वर्ष हो चुके है।

यह कि वादी के पूर्वजो की मृत्यु हो जाने से वर्तमान में कब्जा वादीगणो का निरन्तर 70 वर्षो से बिना किसी बाधा के निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे है।

यह कि गत सेटलमेन्ट के खरीदाशुदा आराजी नम्बर 14 क्षेत्रफल 11.03 बीघा वर्तमान जिसके आराजी नम्बर 36 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर, आरजी नम्बर 37 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर, आरज नम्बर 38 क्षेत्रफल 1.8500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 2.4100 हैक्टेयर है।

यह कि 100/–रू से कम मूल्य कि भुमि खरीद ने पर पंजियन करवाना आवश्यक नही था एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व ही भूमि वादी के पूर्वज द्वारा खरीद कर देने से व 70 वर्षो से निरन्तर कब्जा होने से स्वतः ही उक्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ग्राम दौलपुरा के वर्तमान आराजी नम्बर 36 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 37 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 38 क्षेत्रफल 1.8500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 2.4100 हैक्टेयर में वर्तमान खातेदारो के नाम को विलोपित कर तत्कालीन खरीदार केसा लकु पुत्र सोजा जाति रेगर के वारिसान हजारी पुत्र केसा टमु अणछी पुत्री केसा हिस्से 1/2 हिस्से व सोहन पुत्र लकु व लहरीबाई पुत्री लकु नेनीबाई पत्नि लकु 1/2 हिस्सा को खातेदार घोषित करनें कि कृपा करावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य, सबूतों का अवलोकन किया गया। सम्पूर्ण विवेचन से यह सपष्ट है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वाद के संबंध में हर संभव प्रयास किये गये। अखबार साया भी करवाया गया लेकिन बावजूद तामिल के संबंध में सभी विधिक प्रक्रिया पूर्ण करने के भी कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

वकील द्वारा बैंचान के संबधं में जो लिखित दस्तावेज पेश किया है उसके संबंध में यह है कि उक्त लिखित में भूमि की किमत 80 रू लिखी हुई है, संपति –अंतरण अधिनियम 1882 अध्याय 03 मे स्थावर सम्पति के विक्रयों के विषय में क्रम संख्या 54 पर विक्रय कैस किया जा सकता है के संबंध मे यह लिखा है कि एक सौ रूपए से कम मूल्य की मूर्त स्थावर सम्पति की दशा मे ऐसा अन्तरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या सम्पति के परिदान द्वारा किया जा सकेगा। उक्त लिखत बैचान को प्रकरण में साक्ष्य के रूप में ग्राही किया जा सकता है तथा लिखित के आधार पर निर्णय भी दिया जा सकता है।

सम्पूर्ण विवेचन से उक्त वादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देवगढ को आदेश दिया जाता है कि ग्राम दौलपुरा के वर्तमान आराजी नम्बर 36 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 37 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 38 क्षेत्रफल 1.8500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 2.4100 हैक्टेयर में वर्तमान खातेदारो के नाम को विलोपित कर तत्कालीन खरीदार केसा लकु पुत्र सोजा जाति रेगर के वारिसान हजारी पुत्र केसा टमु अणछी पुत्री केसा हिस्से 1/2 हिस्से व सोहन पुत्र लकु व लहरीबाई पुत्री लकु नेनीबाई पत्नि लकु 1/2 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

है। तहसीलदार देवगढ निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। राजस्व रेकर्ड दूरूरूत किया जावें।

यदि किसी बैंक का रहन हो तो यथावत् रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ जिला राजसमन्द

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 14/2024

अनवान

1. हजारी पिता केसा आयु बालिग जाति रेगर निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

वादी

बनाम

1. किरणकुमार पिता मांगीलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. किशोरकुमार पिता मांगीलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. गोपाल पिता धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. थानमल पिता गमनीराम आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. पुष्पा पुत्री धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. मीठालाल पिता रंगलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
7. मिश्रीलाल दतक पुत्र नाथुलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
8. मीठूबाई पत्नि मांगीलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
9. राजमल पिता मांगीलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
10. लक्ष्मीलाल पिता धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
11. लीला पुत्री धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
12. सरोज पुत्री धर्मचन्द आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
13. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार देवगढ़ तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
    :– मृतक शंकरलाल पिता गणेशलाल के वारिसान – प्रतिवादी संख्या 14
14. मांगीबाई पत्नि शंकरलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
    :– मृतक शान्तिलाल पिता रंगलाल के वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 से 17
15. पारस पिता शान्तिलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
16. ज्योति पुत्री शान्तिलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
17. कविता पुत्री शान्तिलाल आयु बालिग जाति महाजन निवासी ग्राम दौलपुरा तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से– अनुपस्थित

यह मुकद्मा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू हमारे बहाजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व वकील प्रतिवादीगण मिनजानिव मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता हैं व डिकरी दी जाती हैं कि दावा वादी इस आशय का डिकी किया जाता हैं कि:–

ग्राम दौलपुरा के वर्तमान आराजी नम्बर 36 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 37 क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टेयर आराजी नम्बर 38 क्षेत्रफल 1.8500 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल क्षेत्रफल 2.4100 हैक्टेयर में वर्तमान खातेदारो के नाम को विलोपित कर तत्कालीन खरीदार केसा लकु पुत्र सोजा जाति रेगर के वारिसान हजारी पुत्र केसा टमु अणछी पुत्री केसा हिस्से 1/2 हिस्से व सोहन पुत्र लकु व लहरीबाई पुत्री लकु नेनीबाई पत्नि लकु 1/2 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार देवगढ निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। राजस्व रेकर्ड दूरूरूत किया जावें।

यदि किसी बैंक का रहन हो तो यथावत् रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08/07/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)